वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 154/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-26.04.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 26.04.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी है।

01.थाना दीदारगंजः शादी में जयमाल के समय अवैध असलहा से फायरिंग कर रहे अभियुक्तों को मना करने पर वादी के लड़के पर फायर करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण-

दिनांक- 25.04.2025 को वादी मुकदमा श्री जगदीश यादव पुत्र लालता प्रसाद ग्राम दरियापुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ के लिखित तहरीर दी कि दि0 24/25 .4.2025 की रात्रि गांव में बारात आयी थी जिसमें विपक्षीगणो द्वारा रात के करीब 1 बजे जयमाल के समय तीनो विपक्षीगण द्वारा अवैध असलहे से बारी बारी फायर करने लगे जब वादी का लड़का इनको फायर करने से मना किया तो उसको हाथ में गोली मारकर घायल कर दिया गया, जिसके सम्बन्ध में **मु0अ0सं0 102/25 धारा109 बीएनएस** बनाम 1. राकेश प्रजापति पुत्र रामलखन निवासी बेलवाना थाना बरदह जनपद आजमगढ 2. अनिल राजभर पुत्र विनोद राजभर निवासी ग्राम महुजा नेवादा थाना बरदह जनपद आजमगढ 3. अंकुश यादव पुत्र छोटेलाल यादव निवासी निकासीपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ पंजीकृत हुआ था जिसमें अभियुक्त उपरोक्त फरार चल रहे थे।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 26.04.25 उ0नि0 रुपेश कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त 1. राकेश प्रजापति पुत्र रामलखन निवासी बेलवाना थाना बरदह जनपद आजमगढ 2. अनिल राजभर पुत्र विनोद राजभर निवासी ग्राम महुजा नेवादा थाना बरदह जनपद आजमगढ 3. अंकुश यादव पुत्र छोटेलाल यादव निवासी निकासीपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ** को घटना में प्रयुक्त 01 अदद पिस्टल के साथ भांदो मोड के पास से समय करीब 4.25 बजे सुबह हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. राकेश प्रजापति पुत्र रामलखन निवासी बेलवाना थाना बरदह जनपद आजमगढ उम्र करीब 22 बर्ष
2. अनिल राजभर पुत्र विनोद राजभर निवासी ग्राम महुजा नेवादा थाना बरदह आजमगढ उम्र करीब 21 बर्ष
3. अंकुश यादव पुत्र छोटेलाल यादव निवासी निकासीपुर थाना दीदारगंज आजमगढ उम्र करीब 19 बर्ष

बरामदगी- एक अदद पिस्टल

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. प्र0नि0 राकेश कुमार सिंह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
2. चौक प्रभारी उ0नि0 श्री रूपेश कुमार सिंह थाना दीदारगंज आजमगढ़

02.थाना – अहरौला: दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 17.04.2025 को आवेदिका थाना अहरौला जनपद आजमगढ ने थाना अहरौला पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 17.4.2025 को दिन मे करीब 12.30 बजे विपक्षी साहिल पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम दनियालपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ उम्र करीब 21 वर्ष द्वारा वादिनी मुकदमा के साथ जबरजस्ती किया गया, शोर मचाने के पश्चात वहां से भागने में सफल रहा, के सम्बन्ध में थाना अहरौला **पर मु0अ0सं0 160/2025 धारा 74/333/115(2) बी0एन0एस0** पंजीकृत किया गया। विवेचना अवलोकन बयान वादिनी/पीडिता अन्तर्गत **धारा 180/183 बीएनएसएस** व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में **धारा 64(1)/351(3) बीएनएस** की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 26.04.2025 को **उ0नि0 रंजन कुमार साव** मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त साहिल पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम दनियालपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ** को चौंदनी चौक –दनियालपुर के पास से समय करीब 11.15 बजे नियमानुसार अभिरक्षा में लिया गया। तथा बाद गिरफ्तारी मा0न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 160/2025 धारा 74/333/115(2)/351(3)/64(1) बीएनएस थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

1- साहिल पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम दनियालपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ उम्र करीब 21 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 रंजन कुमार साव व का0 सौरभ राय थाना अहरौला आजमगढ़।

03.थाना – अहरौला: गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 25.04.2025 को **थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह** मय हमराह द्वारा 1. शशिकान्त पाण्डेय उर्फ सोनू पुत्र चन्द्रशेखर पाण्डेय निवासी आतापट्टी भीमलपट्टी थाना अहरौला जनपद आजमगढ का एक गैंग हैं जिसका गैंगलीडर वह स्वयं हैं। जो अपने सह अभियुक्त/सदस्य 2. दिनेश कुमार पाण्डेय पुत्र जगदम्बा प्रसाद पाण्डेय निवासी गहजी थाना अहरौला जनपद आजमगढ। हाल पता मकान -34 फुसूपुरवा थाना चिनहट जनपद लखनऊ 3. मंजू पाण्डेय पत्नी शशिकान्त पाण्डेय उर्फ सोनू निवासी आतापट्टी भीमलपट्टी थाना अहरौला जनपद आजमगढ 4. अमन पाण्डेय पुत्र राजेन्द्र पाण्डेय आतापट्टी भीमलपट्टी थाना अहरौला जनपद आजमगढ 5. विकास पाण्डेय पुत्र राजेन्द्र पाण्डेय निवासी आतापट्टी भीमलपट्टी थाना अहरौला जनपद आजमगढ 6. मानधाता पाण्डेय पुत्र जगदीश पाण्डेय निवासी देवखरी विजौरा कालोनी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ के साथ मिलकर एक संगठित अपराधिक गिरोह कायम किया है ,जो जनपदीय स्तर पर सक्रिय है। इस गिरोह के लीडर व सदस्यो के द्वारा आर्थिक भौतिक दुनियाबी लाभ प्राप्त करने के उद्देश से फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उसे असल के रूप में प्रयोग करते हुये धोखाधडी से नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लेकर अपराध कारित किया गया है।। इसी कारण दिनांक 16.02.2025 को इस गैंग के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही हेतु गैंगचार्ट तैयार कर भेजने पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ व श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट महोदय आजमगढ़ की संयुक्त बैठक के पश्चात उक्त गैंगचार्ट दिनांक 15.04.2025 को अनुमोदित किया गया। उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध **उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 की धारा 2 की खण्ड(ख) के उपखण्ड 1 (एक) से आच्छादित है जो धारा 02 ख(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986** के पंजीकृत हुआ जिसकी प्रारम्भिक विवेचना व रिमाण्ड की कार्यवाही उ0नि0 श्री प्रकाश मिश्रा द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनाकं 26.04.2025 को थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा गैगेस्टर एक् ट से सम्बन्धित अभियुक्त अमन पाण्डेय व विकास पाण्डेय को पूर्व पट्टी गोदाम के पास से समय 11.20 बजे पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 163/25 धारा 2ख(1)/3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

1. अमन पाण्डेय पुत्र राजेन्द्र पाण्डेय निवासी आतापट्टी भीमलपट्टी थाना अहरौला जनपद आजमगढ उम्र करीब 22 वर्ष ।
2. विकास पाण्डेय पुत्र राजेन्द्र पाण्डेय निवासी आतापट्टी भीमलपट्टी थाना अहरौला जनपद आजमगढ उम्र करीब 23 वर्ष।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास......

1. मु0अ0सं0 -230/24 धारा-420/ 406/ 467/ 468 / 471 भादवि थाना अहरौला थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 -231/24 धारा-420/ 406/ 467/ 468 / 471 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 -232/24 धारा-420/ 406/ 467/ 468 / 471 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 -233/24 धारा-420/ 406/ 467/ 468 / 471 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 -234/24 धारा-420/ 406/ 467/ 468 / 471 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 -236/24 धारा-420/ 406/ 467/ 468 / 471 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
7. मु0अ0सं0 -237/24 धारा-420/ 406/ 467/ 468 / 471 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

8. मु0अ0सं0 -238/24 धारा-420/ 406/ 467/ 468 / 471 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

9. मु0अ0सं0 -239/24 धारा-420/ 406/ 467/ 468 / 471/504/506 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

10. मु0अ0सं0 -240/24 धारा-420/ 406/ 467/ 468 / 471 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

11. मु0अ0सं0 -242/24 धारा-420/ 406/ 467/ 468 / 471/506 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

12. मु0अ0सं0 -244/24 धारा-420/ 406/ 467/ 468 / 471 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

13. मु0अ0सं0 -245/24 धारा-420/ 406/ 467/ 468 / 471 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ।

14. मु0अ0सं0 -249/24 धारा-420/ 406/ 467/ 468 / 471 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

15. मु0अ0सं0 -250/24 धारा-420/ 406/ 467/ 468 / 471 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

16. मु0अ0सं0 307/24 धारा 506 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1-थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह मयहमराह का0 प्रशान्त कुमार, का0 मुकेश वर्मा व म0का0 बंदना सिंह थाना अहरौला आजमगढ़।

04.थाना- फूलपुर: अपहरण व दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 23-04-2025 को वादिनी मुकदमा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ के द्वारा लिखित सूचना दिया गया कि दिनांक 19.04.2025 को समय लगभग 17.00 बजे विपक्षी सद्दाम पुत्र मोतीन ग्राम मानपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ के मेरी पुत्री को बहला फूसलाकर घर से भगा ले जाना जिसमें अमिन्दर पुत्र पारस भी सामिल रहना। तथा प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पति गाली गलौज देते हुए जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे थाना फूलपुर पर **मु0अ0सं0-207/25 धारा 64(1), 127(3), 87, 352, 351(3) व 3(1)द,3(1)ध,3(2)5 क एससी /एसटी एक्ट** बनाम सद्दाम पुत्र मोतीन ग्राम मानपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ 2. अमरेन्द्र पुत्र स्व0 पारस धरिकार ग्राम मानपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ पंजीकृत है। जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी फूलपुर के द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 26-04-2025 को **थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द यादव** मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित **अभि0 सद्दाम पुत्र मोतीन ग्राम मानपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ 2. अमरेन्द्र पुत्र स्व0 पारस धरिकार ग्राम मानपुर थाना फूलपुर आजमगढ़** को माहुल मोड पर से समय करीब 21-25 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया, तथा न्यायिक अभिरक्षा जिलाकारागार भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1 सद्दाम पुत्र मोतीन ग्राम मानपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष

2. अमरेन्द्र पुत्र स्व0 पारस धरिकार ग्राम मानपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0-18/25 धारा 64(1), 127(3), 87, 352, 351(3) व 3(1)द,3(1)ध,3(2)5 क एससी /एसटी एक्ट

आपराधिक इतिहास-

1 सद्दाम पुत्र मोतीन ग्राम मानपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	207/25	64(1), 127(3), 87, 352, 351(3) व 3(1)द,3(1)ध,3(2)5 क एससी /एसटी एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़

1 अमरेन्द्र पुत्र स्व0 पारस धरिकार ग्राम मानपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	207/25	64(1), 127(3), 87, 352, 351(3) व 3(1)द,3(1)ध,3(2)5 क एससी /एसटी एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़
2	71/24	323, 504, 506 भादवि	फूलपुर	आजमगढ

05.थाना निजामाबाद: चोरी के अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

1. दिनांक 06.02.25 को वादी मुकदमा श्री समीर पुत्र ओजैर निवासी सेमरी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा दो अज्ञात द्वारा उसकी मोबाईल झपट्टा मार कर भाग जाने के सम्बन्ध में दिनांक 07.02.25 को **मु0अ0सं0 37/25 धारा 304(2) बीएनएस** बनाम दो अज्ञात बाईक सवाल के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था।

2.दिनांक 12.03.25 को वादिनी माया यादव पत्नी अल्हा यादव निवासी तेलीपुर थाना निजामाबाद , आजमगढ द्वारा अज्ञात चोरो द्वारा घर से गहने चोरी कर लिये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 12.03.25 **मु0अ0स0-84/25 धारा -331(4),305 बीएनएस** का अभियोग पंजीकृत कराया गया।

3.दिनांक 28.03.25 की रात्रि में अज्ञात चोर द्वारा समर सेबर चोरी कर लिये जाने के सम्बन्ध में वादी लालविहारी यादव पुत्र स्व0बरखू यादव ग्राम रेवरा परवेजपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ द्वारा दिनांक 29.03.25 **को मु0अ0स0-111/25 धारा -303(2)** बीएनएस बनाम अज्ञात चोर के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक 25.04.25 को **उ0नि0 चन्द्रजीत यादव** मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये **अभियुक्त इन्द्रसेन उर्फ करिया पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़** उम्र करीब 22 वर्ष को समय 19.58 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद समरसेबुल,एक अदद मोबाइल रियल मी,एक जोड़ी पायल सफेद धातु,250 रू0 बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं037/25 धारा 304(2),317(2)बीएनएस थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

2.मु0अ0स0 84/25 धारा 331(4),305,317(2) बीएनएस थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

3.मु0अ0स0-111/25 धारा -303(2),317(2) बीएनएस थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

इन्द्रसेन उर्फ करिया पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी-

एक अदद समरसेबुल,एक अदद मोबाइल रियल मी,एक जोड़ी पायल सफेद धातु,250 रू0

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 37/25 धारा 304(2),317(2) बीएनएस थाना निजामाबाद,आजमगढ़
2. मु0अ0स0 84/25 धारा 331(4),305,317(2) बीएनएस थाना निजामाबाद,आजमगढ़
3. मु0अ0स0 111/25 धारा -303(2),317(2) बीएनएस थाना निजामाबाद,आजमगढ़
3. मु0अ0स0 313/24 धारा -379,411 भादवि थाना निजामाबाद,आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 366/24 धारा 411/34 भादवि थाना सरायमीर,आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 चन्द्रजीत यादव 2.उ0नि0 कमला प्रसाद 3.का0 अमित यादव 4.का0 अजय जायसवाल 5. धर्मवीर प्रजापति थाना निजामाबाद,आजमगढ़

06. थाना मुबारकपुरः छुट्टा पशु को गोकशी के लिये ले जा रहा अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 26.04.2025 को उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह पुलिस बल के गुजरपार बाजार मे गश्त/चेकिंग के दौरान बिना नम्बर प्लेट के ई-रिक्सा पर एक व्यक्ति एक राशि गोवंश को वध किये जाने हेतु ले जा रहा था कि शक होने पर एकबारगी घेर कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम मु0 मुस्तफा पुत्र वसीर अहमद निवासी मु0 पुरा दुल्हन थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ बताया जिसके कब्जे से एक राशि गोवंश (बछड़ा) की बरामदगी की गयी। उक्त के सम्बन्ध मे थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 173/2025 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 नौशाद अहमद द्वारा प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1-मु0 मुस्तफा उर्फ गुड्डू झालर पुत्र वसीर अहमद निवासी मु0 पुरा दुल्हन थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 173/2025 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 571/2003 धारा 25 आयुध अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ,
2. मु0अ0सं0 09/2004 धारा 457/380/411 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़,
3. मु0अ0सं0 503/2005 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ,
4. मु0अ0सं0 1424/2007 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ,
5. मु0अ0सं0 2003/2008 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ,
6. मु0अ0सं0 247/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-उ0नि0 अनिल कुमार सिंह, का0 आलोक रंजन, का0मनीष यादव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

07. थाना मुबारकपुरः चोरी की घटना का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की माल बिक्री के रूपये बरामद

पूर्व की घटना–

दिनांक 09.04.2025 को वादी मुकदमा रामाधार पुत्र राजाराम निवासी ग्राम बम्हौर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा सूचना दी गयी कि वादी मुकदमा की गाय दिनांक 04.04.2025 को वादी के घर के सामने सहन मे बंधी थी तभी गाँव के ही इन्तखार पुत्र बुद्धू व अजालू पुत्र अफजल निवासीग्राम बम्हौर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा रात्री मे मौका पाकर चोरी कर लिये। इस सूचना पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0स0 150/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 गिरीश कुमार शर्मा द्वारा प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 25.04.2025 को उ0नि0 गिरीश कुमार शर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त इन्तजार पुत्र रिजवान उर्फ बुद्धू निवासी ग्राम बम्हौर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को बम्हौर अण्डरपास के पास से एकबारगी घेर कर पकड़ लिया गया। अभियुक्त इन्तजार उपरोक्त के कब्जे से चोरी की गाय के बिक्री के 1900/- रूपये की बरामदगी की गयी। अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 20.05 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया।